उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी गणराज बडगोती (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यारित

प्रा0पत्र संख्या--22 / 2025
प्रा0पत्र प्रविष्टि दिनांक--01.08.2025
निर्णय दिनांक--20.11.2025

1. फूला पत्नि लक्ष्मीनारायण जाति मीना निवासी ग्राम सिसोला तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. रामेश्वर पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीना निवासी ग्राम सिसोला तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. रामावतार पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीना निवासी ग्राम सिसोला तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. श्योजी पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीना निवासी ग्राम सिसोला तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
5. हरजी पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीना निवासी ग्राम सिसोला तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

1. उम्मेद पुत्र रामलाल जाति मीणा निवासी ग्राम सिसोला तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. दिनेश पुत्र रामलाल जाति मीणा निवासी ग्राम सिसोला तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. सीताराम पुत्र रामलाल जाति मीणा निवासी ग्राम सिसोला तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. आशा पुत्री रामलाल जाति मीणा निवासी ग्राम सिसोला तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
5. भागुती पत्नि रामलाल जाति मीणा निवासी ग्राम सिसोला तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
6. बदाम पुत्री भैरू जाति मीणा निवासी ग्राम सिसोला तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
7. रामप्यारी पुत्री भैरू जाति मीणा निवासी ग्राम सिसोला तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
8. सन्तोक पुत्री भैरू जाति मीणा निवासी ग्राम सिसोला तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थीगण

अधिवक्ता प्रार्थीगण–श्री नन्दकिशोर शर्मा एड0
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01लगायत 08– श्री हेमराज गुर्जर एड0

प्रार्थना पत्र वास्ते रास्ता दिलवाये जाने बाबत् अन्तर्गत धारा 251 ए राज.टि.एक्ट. 1955

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र वास्ते रास्ता दिलवाये जाने बाबत् प्रस्तुत कर कथन किया की भूमि आराजी ख0न0 105/7

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 0.1517 हैक्ट. व ख0न0 213 रकबा 0.8219 हैक्ट. वाके ग्राम सिसोला, पटवार हल्का नाथडी तह0 पीपलू में स्थित है, जो प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। प्रार्थीगण वर्षो से भूमि ख0न0 916/105, 925/776 किस्म गै.मु. रास्ता से होते हुए प्रतिपक्षी की खातेदारी की भूमि ख0न0 926/776 रकबा 0.2394 हैक्ट. वाके ग्राम सिसोला की पश्चिमी मेड पर बने हुए रास्ते में से सदा सर्वदा से आते जाते रहे है। प्रतिपक्षी की खातेदारी की भूमि ख0न0 926/776 में से होकर वर्षो से रास्ता बना हुआ है और उसी रास्ते से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर आते जाते रहे है तथा इसी में से होकर अपने कृषि कार्य हेतु हल, बेल, कुली, ट्रेक्टर, ट्रोली आदि को लाते ले जाते है। प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी की भूमियो में आने जाने के लिए प्रतिपक्षी की खातेदारी की भूमि ख0न0 926/776 पर बने हुए रास्ते में से होकर सदा सर्वदा से आते जाते है। उक्त रास्ते में से होकर सदा सर्वदा से आते जाते है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अपनी भूमि ख0न0 105/7 तक आने जाने व काश्त करने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। उक्त भूमि प्रतिपक्षी के नाम दर्ज होने से अब उनकी नियत में बेईमानी आ गयी है तथा उन्होने नाजायज रूप से प्रार्थीगण का आवागमन अवरूद्ध करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थीगण को अपने खेतो पर कृषि कार्यो के लिए आना जाना अवरूद्ध हो जावेगा। ऐसी स्थिती में प्रार्थीगण को अप्रार्थी की भूमि ख0न0 926/776 की पश्चिमी मेड से प्रार्थीगण को अपनी भूमि आराजी ख0न0 105/7 तक आने जाने व कृषि कार्य हेतु 15 फिट का रास्ता दिलवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक से अंकन किया जाना तथा प्रतिपक्षी को चालू रास्ते को बंद नही करने हेतु पाबंद किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीगण को प्रतिपक्षी की खातेदारी की भूमि ख0न0 926/776 की पश्चिमी मेड से प्रार्थीगण को अपनी भूमि ख0न0 105/7 तक 15 फिट का रास्ता दिलवाया जाना आवश्यक है। जिसके लिए प्रार्थीगण डी.एल. सी. दर से मुआवजा राशि प्रतिपक्षीगण को अदा करने के लिए तैयार है। प्रार्थीगण को उक्त रास्ता दिलवाकर नक्शा शीट में तरमीम करवायी जानी तथा जमाबंदी में से रकबा कम करवाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को आराजी ख0न0 105/7 रकबा 0.1517 हैक्ट. व ख0न0 213 रकबा 0.8219 हैक्ट. ग्रामं सिसोला में आने जाने के लिए प्रतिपक्षी की खातेदारी की भूमि ख0न0 926/776 की पश्चिमी मेड से प्रार्थीगण को अपनी भूमि ख0न0 105/7 तक 15 फिट चौडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेशं प्रदान करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं तहसीलदार पीपलू से चाहे गये रास्ते की मौका निरीक्षण रिपोर्ट चाही गई। प्रतिपक्षी संख्या 01 लगायत 08 की ओर से अधिवक्ता श्री हेमराज गुर्जर एड0 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण की भूमि ग्राम सिसोला में होना स्वीकार है। प्रार्थीगण उपरोक्त रास्ते से ही अपनी भूमि पर आते जाते रहे है। प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। इस कारण प्रार्थीगण को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दिया जाना आवश्यक है। जिसके लिए हम अप्रार्थीगण सहमत है। प्रार्थीगण को हमारी भूमि ख0न0 926/776 की पश्चिमी मेड से

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

15 फिट चौडा रास्ता दे दिया जावे और जितनी भूमि रास्ते के काम में आती है। उतनी ही भूमि अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण से दिलवायी जावे। क्योकि अप्रार्थीगण डी.एल.सी. दर के अनुसार मुआवजा नही लेना चाहते है तथा प्रार्थीगण की भूमि अप्रार्थीगण के लगवा स्थित है। अतः इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को 15 फिट. चौडा रास्ता दे दिया जावे तथा हम प्रतिपक्षीगण को जितनी भूमि रास्ते हेतु दी जाती है। उतनी भूमि प्रार्थीगण से हम. प्रतिपक्षीगण को दिलवाने हेतु आदेश प्रदान करे।

तहसीलदार पीपलू ने न्यायालय हाजा के पत्रांक 896 दिनांक 15.10.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया की प्रार्थीगण को अपनी भूमि पर पहूंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते की चौडाई 15 फिट व लम्बाई 184 फिट है। प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षैत्रफल 0.0256 हैक्ट. है। प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 9,02,450 रूपये प्रति हैक्ट. है। प्रस्तावित रास्ते की डी.एल.सी. दर 23,103 रूपये बनती है। जिसकी दोगुनी दर से प्रतिकर राशि 46,206 रूपये है। प्रार्थीगण ग्राम सिसोला के खसरा नम्बर 926/776 की पश्चिमी मेड के लगवा से रास्ता चाहता है, जो प्रस्तावित नक्शा ट्रेस में लाल रंग से चिन्हित कर नक्शा ट्रेस दो प्रतियो में संलग्न है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई पेड, दीवार नही है। अप्रार्थीगण उक्त रास्ता देने के लिए सहमत नही है। प्रस्तावित रास्ता अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है।

उभयपक्ष अधिवक्ता ने बहस का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया की भूमि आराजी ख0न0 भूमि आराजी ख0न0 105/7 रकबा 0.1517 हैक्ट. व ख0न0 213 रकबा 0.8219 हैक्ट. वाके ग्राम सिसोला में स्थित है, जो प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। प्रार्थीगण वर्षो से भूमि ख0न0 916/105, 925/776 किस्म गै.मु. रास्ता से होते हुए प्रतिपक्षी की खातेदारी की भूमि ख0न0 926/776 रकबा 0.2394 हैक्ट. वाके ग्राम सिसोला की पश्चिमी मेड पर बने हुए रास्ते में से सदा सर्वदा से आते जाते रहे है तथा इसी में से होकर अपने कृषि कार्य हेतु हल, बेल, कुली, ट्रेक्टर, ट्रोली आदि को लाते ले जाते है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अपनी भूमि ख0न0 105/7 तक आने जाने व काश्त करने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। वर्तमान में अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण का आवागमन अवरूद्ध कर दिया है। जिससे प्रार्थीगण को अपने खेतो पर कृषि कार्यो के लिए आना जाना अवरूद्ध हो गया है। ऐसी स्थिती में प्रार्थीगण को गै.मु. रास्ता ख0न0 925/776 से होते हुए अप्रार्थी की भूमि ख0न0 926/776 की पश्चिमी मेड के लगवा से होते हुए प्रार्थीगण को अपनी भूमि आराजी ख0न0 105/7 तक आने जाने व कृषि कार्य हेतु 15 फिट का रास्ता दिलवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक से अंकन किया जावे तथा उक्त रास्ता दिलवाकर नक्शा शीट में तरमीम करवायी जावे। प्रार्थीगण मुआवजा राशि के बदले रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि के प्रतिकर के रूप में अपनी खातेदारी भूमि में से

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक

अप्रार्थीगण को रास्ते के एवज में बराबर भूमि देने के लिए सहमत है। जिसके लिए प्रार्थीगण को किसी प्रकार की उज्र आपत्ति नही है।

अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण उपरोक्त रास्ते से ही अपनी भूमि पर आते जाते रहे है। प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। इस कारण प्रार्थीगण को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दिया जाना आवश्यक भी है। जिसके लिए हम अप्रार्थीगण सहमत है। प्रार्थीगण को हमारी भूमि ख0न0 926/776 की पश्चिमी मेड से 15 फिट चौडा रास्ता दे दिया जावे तो हम प्रतिपक्षीगण को कोई विधिक आपत्ति भी नही है, लेकिन यदि हम प्रतिपक्षीगण की भूमि से रास्ता दिया जाता है, तो प्रतिपक्षीगण की भूमि का रकबा कम होता है। जिससे हम प्रतिपक्षीगण को भूमि की हानि होना स्पष्ट कारित होता है। जिसका प्रतिकर डी.एल.सी. राशि से किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। रास्ते के एवज में प्रार्थीगण की भूमि आराजी ख0न0 105/7 से उतनी भूमि कम कर प्रतिपक्षी के जोत का क्षैत्रफल यथावत रख दिया जावे तो हम प्रतिपक्षीगण को कतई आपत्ति नही है। वैसे भी प्रार्थीगण रास्ते के बदले प्रतिकर के रूप में बराबर भूमि अपनी खातेदारी भूमि ख0न0 105/7 से देने के लिए सहमत है। अतः न्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि जितनी भूमि रास्ते के काम में आती है। उतनी ही भूमि अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0न0 105/7 से कम किया जाकर हम प्रतिपक्षीगण की खातेदारी में बहिस्सा बराबर दर्ज किया जावे एवं मुताबिक तहसीलदार पीपलू रास्ता अप्रार्थीगण को दे दिया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अनुसार अन्य खातेदार की जोत में से नया मार्ग दिये जाने हेतु संक्षिप्त जॉच के बाद यह समाधान होना आवश्यक है, कि प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता हो तथा अन्य कोई निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। धारा 251–ए में खातेदार को पडौसी खातेदार की भूमि से रास्ता मांगने का प्रावधान है, किन्तु यह भी देखा जाना चाहिए कि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का स्वरूप बिगाड़ने के उद्देश्य से उक्त प्रावधान का उपयोग तो नहीं हो रहा है। तहसीलदार पीपलू की रिपोर्ट अनुसार आवेदकगण अपनी खातेदारी भूमि में पहूंचने हेतु निकटतम वैकल्पिक मार्ग खसरा नम्बर 926/776 से होकर ही बताया गया है। अन्य कोई रास्ता निकटतम वैकल्पिक रास्ता नही होना बताया गया है। प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता होना भी बतायी गई है। साथ ही अपने इकबाली जवाब व दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण ने अवगत कराया की यदि प्रार्थीगण रास्ते के काम आने वाली भूमि के बदले प्रतिपक्षीगण को लगवा भूमि दी जावे तो प्रतिपक्षी रास्ता देने के लिए सहमत है। प्रार्थीगण पक्षकारान् ने प्रस्तावित रास्ते की भूमि के बदले प्रतिपक्षीगण को लगवा भूमि दिये जाने में अपनी सहमति जाहिर की है। अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत नजीर आर.आर.टी. 2019 (2) पेज 1210 उक्त प्रकरण में चस्पा होती हैं। जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने स्पष्ट किया हैं कि Land can be given in lieu of

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

the land under section 251-A तथा रास्ते की भूमि के प्रतिकर का अर्थ सिर्फ राशि नहीं है बल्कि वह किसी भी रूप में हो सकता है तथा काश्तकार के लिए भूमि से ज्यादा बेहतर कोई प्रतिकर नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे उसकी जोत का क्षैत्रफल यथावत बना रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि आराजी ख0न0 105/7 रकबा 0.1517 हैक्ट. व ख0न0 213 रकबा 0.8219 हैक्ट. वाके ग्राम सिसोला, पटवार हल्का नाथडी में आने जाने हेतु गै.मु. रास्ता ख0न0 925/776 से प्रतिपक्षीगण की भूमि आराजी ख0न0 926/776 रकबा 0.2395 हैक्ट. वाके ग्राम सिसोला, पटवार हल्का सिसोला की पश्चिमी मेड से 15 फिट चौडा रास्ता आवेदिका की खातेदारी भूमि आराजी ख0न0 105/7 तक दिये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक उपयोग उपभोग के लिए रहेगा। उक्त प्रस्तावित रास्ते के बदले में उभयपक्ष की सहमति अनुसार रास्ते के काम आने भूमि रकबा 0.0256 हैक्ट. भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी ख0न0 105/7 में से कम किया जाकर ख0न0 926/776 के लगवा ही रकबा 0.0256 हैक्ट. प्रतिपक्षीगण की खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार पीपलू नवीन रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड के खाता संख्या 01 में करे एवं नक्शा शीट मुताबिक प्रस्तावित नक्शा शीट अनुसार तरमीम करे। निर्णय आज दिनांक 20.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(गणराज बड़गोती आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner